विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-14/16

मेसर्स बाला जी इन्टर प्राईजेज — आवेदक
अधिकृत सिगनेट्री पंकज अग्रवाल,
ग्राम सोना सांवरी, तह. इटारसी,
जिला–होशंगाबाद म.प्र.

विरूद्ध

महाप्रबंधक (सं./सं.), वृत्त, — अनावेदक
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
होशंगाबाद म.प्र.

आदेश

(दिनांक 19.09.2016 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा शिकायत प्रकरण क्रमांक बी.टी. 04/2016 मेसर्स बाला जी इन्टर प्राईजेज, विरूद्ध महाप्रबंधक (सं./सं.), वृत्त, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. होशंगाबाद में पारित आदेश दिनांक 10.06.2016 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–14/16 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 प्रकरण में सुनवाई के दौरान दिनांक 23.08.2016 को आवेदक के अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी एवं अनावेदक के अधिवक्ता श्री सी.के. वलेजा एवं श्री राजेन्द्र दीवान, विधि सहायक उपस्थित हुए।

04 बहस के दौरान अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उपभोक्ता फोरम के उपरोक्त आदेश दिनांक 10.06.2016 के बिन्दु क्रमांक 1 व 2 का परिपालन उनके द्वारा किया जा चुका है।

05 आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उपभोक्ता फोरम के आदेश के बिन्दु क्रमांक 1 व 2 के विरूद्ध परिपालन के संबंध में आवश्यक जानकारी सुनवाई की अगली तिथि के दौरान दी जाएगी। परन्तु आवेदक के अधिवक्ता द्वारा फोरम के आदेश के बिन्दु क्रमांक 3 व 4 को चुनौती दी गई है जो कि फोरम द्वारा लिये गये निर्णय म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के प्रावधान के अनुरूप न होकर उसकी कंडिका 8.31 के विरूद्ध है एवं उनका विद्युत कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित होने के कारण उन्हें प्रचलित टैरिफ के अनुसार फिक्स चार्जेज एवं न्यूनतम खपत में प्रावधान के अनुसार छूट नहीं दी जा रही है।

06 अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में बताया गया कि आवेदक के औद्योगिक कनेकशन को 24 घंटे एस.पी.एस औद्योगिक फीडर द्वारा विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। अतः उन्हें टैरिफ के प्रावधान के अनुसार छूट नहीं दी जा सकती तथा यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि उनका विद्युत कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। अनावेदक को निर्देशित किया गया कि वे अगली सुनवाई की तिथि में यह दस्तावेज प्रस्तुत करें कि आवेदक का औद्योगिक कनेकशन शहरी क्षेत्र की सीमा में स्थापित है तथा अनावेदक सुनवाई की अगली तिथि में इस बात की पुष्टि करें कि क्या उनके द्वारा उक्त प्रावधान के तहत न्यूनतम खपत की बिलिंग अनुपातिक दर के आधार पर की गई है।

07 दिनांक 14.09.2016 को प्रकरण की सुनवाई पुनः प्रारंभ की गई जिसमें अनावेदक के अधिवक्ता उपस्थित हुए। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दूरभाष पर बताया गया कि वे सुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थ हैं तथा माननीय लोकपाल जो भी आदेश देगें वो उन्हें मान्य है।

08 अतः प्रकरण के निराकरण हेतु म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.31 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार –

(i) ''यदि किसी नये उपभोक्ता का विद्युत संयोजन किसी माह के मध्य किसी तिथि से प्रारम्भ होता हो तो प्रथम देयक माह के अन्तर्गत स्थाई प्रभार (Fixed Charges) वास्तविक आधार पर प्रभारित किये जाएंगे। तथापि, अन्य प्रभार, जैसे कि न्यूनतम प्रभार आदि की राशि की गणना माह के दौरान विद्युत प्रदाय की गई वास्तविक दिवस संख्या के आधार पर आनुपातिक दर पर की जाएगी। दर्ज की गई विद्यतु खपत को भी इसी प्रकार, खपत की विभिन्न निर्धारित श्रेणियों मे, आनुपातिक दर पर प्रभारित किया जाएगा। इस कण्डिका के प्रयोजन से माह की अवधि की गणना 30 दिवस के रूप में की जाएगी।''

(ii) विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ वर्ष 2015–16 में दिये गये प्रावधानों का अवलोकन किया। टैरिफ के प्रावधान अनुसार आवेदक के कनेक्शन के लिए लागू टैरिफ एच.व्ही–3 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कनेक्शन को फिक्स चार्जेज में 5 प्रतिशत एवं न्यूनतम खपत पर 20 प्रतिशत छूट दिये जाने का प्रावधान है। टैरिफ में दी गई सामान्य निबंधन एवं शर्तों के बिन्दु क्रमांक 1 में ग्रामीण क्षेत्र को परिभाषित किया गया है जिसमें कि वो क्षेत्र हैं जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.3.2006 के अनुसार शहरी क्षेत्र घोषित किये गये है, के अलावा अन्य क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र कहलायेंगे। (ओई–1)

09 उपरोक्त प्रावधानों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि –

(अ) अनुज्ञप्तिधारी/अनावेदक का न्यूनतम प्रभार की राशि की गणना माह के दौरान विद्युत प्रदाय किये गये वास्तविक दिवस की संख्या के आधार पर अनुपातिक दर से की जानी चाहिए यदि आवेदक का विद्युत संयोजन किसी माह के मध्य में प्रारंभ होता है।

(ब) उपरोक्त अधिसूचना से स्पष्ट है कि आवेदक का विद्युत कनेक्शन न तो शहरी क्षेत्र, स्पेशल डवलपमेंट अथार्टी क्षेत्र और ना ही शासन द्वारा घोषित इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर में स्थापित है। अतः स्पष्ट है कि आवेदक का विद्युत कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है।

10 अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान दस्तावेज ओई–4 प्रस्तुत किया गया तथा उनके द्वारा बताया गया कि आवेदक को उच्चदाब कनेक्शन दिनांक 27.3.2014 को जारी किया गया था। जिसका प्रथम देयक (ओई–3) जो कि मार्च 2014 में ही जारी किया गया था में न्यूनतम

खपत के विरूद्ध अनुपातिक दर पर बिलिंग कर आवश्यक क्रेडिट दे दी गई थी तथा फोरम के आदेश दिनांक 10.06.2016 के बिन्दु क्रमांक 1 व 2 के अनुसार आवश्यक क्रेडिट विद्युत देयक अगस्त, 2016 में दे दी गई है। (ओई–4)

11 दिनांक 14.9.2016 को प्रकरण में सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका जिसमें कि उपरोक्त शासन की अधिसूचना (ओई–1) के पश्चात शासन द्वारा विषयांतर्गत अधिसूचना में परिवर्तन करते हुए आवेदक के स्थापित विद्युत कनेक्शन के क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित किया गया हो। वर्ष 2016–17 के टैरिफ निर्धारण के समय माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा की गई जनसुनवाई के दौरान भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपत्ति ली गई थी कि चूंकि अब ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है अतः ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा में परिवर्तन किया जाए। परन्तु माननीय विद्युत नियामक आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी की अपत्ति खारिज कर मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना को यथावत रखा।(ओई–2) अतः शासन द्वारा जारी अधिसूचना (ओई–1) के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेदक का विद्युत कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र में ही स्थापित है।

12 आवेदक को विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.31 के अनुसार न्यूनतम खपत की बिलिंग अनुपातिक दर से की जाकर आवेदक के विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध जारी प्रथम विद्युत देयक मार्च 2014 में ही छूट दी जा चुकी है।

13 अतः उपभोक्ता फोरम के आदेश दिनांक 10.06.2016 के बिन्दु क्रमांक 1 और 2 को यथावत रखा जाता है तथा बिन्दु क्रमांक 3 और 4 को अपास्त करते हुए –

आदेशित किया जाता है कि –

(i) अनुज्ञप्तिधारी/अनावेदक आवेदक को विद्युत कनेक्शन देने की तिथि से समय–समय पर प्रचलित टैरिफ के प्रावधान के अनुसार फिक्स चार्जेज एवं न्यूनतम खपत में दी गई छूट को देते हुए विद्युत देयकों को संशोधित करे तथा आवेदक द्वारा जमा की गई अधिक राशि को उनके आगामी विद्युत देयकों में समायोजित किया जाए।

(ii) उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

14 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल